

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस सं0- 29 / 2021-22

भोला यादव वगै0 बनाम् मंटु यादव वगै0

02.09.2022

-: आदेश :-

प्रस्तुत वाद आवेदक (1) भोला यादव, (2) सुरेश यादव, दोनों पे0-स्व0 शिवण यादव, (3) लखपति यादव, (4) मिको यादव, (5) अधिकलाल यादव, तीनों पे0-स्व0 जीरालाल यादव, सभी साकिन-केरवार, थाना-पथरगामा, जिला-गोड्डा के द्वारा दाखिल आवेदन, जो मौजा-रामकोल नं0-457, जमाबंदी नं0-30, दाग नं0-144 एवं 155 कुल रकवा-00-03-05 धूर जमीन से विपक्षी (1) मंटु यादव, पे0-स्व0 वासुदेव यादव, (2) बासुदेव यादव, पे0-स्व0 कुताई यादव, (3) मु0 सब्बीर, पे0-मु0 छेदी (4) बैजनाथ यादव, पे0-नारायण यादव, सभी सकिन-रामकोल, थाना-हनवारा, अंचल-महागामा, जिला-गोड्डा को उच्छेद करने का अनुरोध को लेकर प्रारंभ किया गया। तदनुसार अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्षों को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष के विद्य अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक-639/रा0 दिनांक-31.03.2022 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने के आधार पर स्पष्ट है कि प्रासंगिक जमाबंदी रैयत फागू गोप नवलद फौत कर गये, जिसके आधार पर न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा नामांतरण अपील वाद सं0-18/1967-68 मितलाल यादव बनाम शिवन यादव में दिनांक-24.02.1970 को पारित आदेश में उल्लेख है कि- "It is crystal clear that the recorded tenant Phagu Gope died issueless and without any heir. Both the appellants and respondents are in no way related to the recorded tenant. Their claims are rejected. The jote has to be declared as fauti for which the Circle Officer should take immediate action and take steps to get the lands in dispute settled with the deserving persons of the village.

The result is that the order of the lower court is set aside and the appeal is disallowed."

अतः उभय पक्ष का प्रासंगिक भूमि पर दावा वैध नहीं रहने के कारण प्रासंगिक भूमि से अवैध दखल हटा कर एक माह के अन्दर उक्त जमाबंदी को फौती घोषित हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए अंचल अधिकारी, महागामा को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

02.09.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

02.09.22

Seen
Bande Kumar Singh
Ad.
10/10/22

BH
seen
10/10/22

10/10/22